

राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 154 / 2022

1. अनिता कुमारी पुत्री स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
2. आशा पुत्री स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
3. जयप्रकाश पुत्र स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
4. निरन्जन कुमार पुत्र स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
5. रेणुका पुत्री स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
6. राकेश कुमार पुत्र स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
7. पुष्पलता बेवा स्व० अमरलाल जाति मेहर निवासी खानपुरिया तहसील मांगरोल हाल निवास विद्या मन्दिर स्कूल के पास दादाबाडी कोटा
8. कल्पना पुत्री स्व० सूरजमल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
9. निर्मला पुत्री स्व० सूरजमल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
10. मंजू पुत्री स्व० सूरजमल जाति मेहर निवासी खानपुरिया
11. सीमा पुत्री स्व० सूरजमल जाति मेहर निवासी खानपुरिया तहसील मांगरोल हाल निवास कोटा
12. अशोक पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी ग्राम खानपुरिया
13. नेमीचंद पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी ग्राम खानपुरिया
14. रमेश पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी ग्राम खानपुरिया तहसील मांगरोल हाल निवास रंगबाडी, कोटा .

.....वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (रांज०)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट व 136 एल०आर०एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक: 03.10.2022

निर्णय दिनांक : 11.02.2023

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामिल खानपुरिया की आराजी खाता संख्या 2 खसरा नं० 319 रकबा 1.28 है०, खसरा नं० 353 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 355 रकबा 0.54 है० कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.57 है० वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में स्थित है। आराजी खाता संख्या नया 4 पुराना 4 ग्राम खानपुरिया तहसील मांगरोल एवं आराजी खाता संख्या नया 131 पुराना 126 ग्राम भगवानपुरा में वादीगण एवं वादीगण के पिता की जाति मेहर दर्ज है। जो कि सही है। किन्तु आराजी खाता संख्या नया 2 पुराना 2 ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में वादीगण की जाति बलाई दर्ज है जो कि गलत है। वादीगण की जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में जाति मेहर दर्ज हो रही है। वादीगण की वास्तविक जाति मेहर है। वादीगण जाति दुरुस्त बलाई के स्थान पर मेहर करवाने के कानूनी अधिकारी है। अतः खाता संख्या नया 2 पुराना 2 ग्राम भटेडिया तहसील

राष्ट्रीय लोक अदालत

मांगरोल में दर्ज आराजी कुल किता 3 रकबा 2.57 है0 में वादीगण की जाति बलाई के स्थान पर मेहर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:-राजस्व/2023/44 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार ग्राम खानपुरिया की जमाबन्दी खाता संख्य 4 कुल किता 3 रकबा 1.98 है0 भूमि एवं ग्राम भटेडिया के खाता संख्या 2 पर किता 3 रकबा 2.57 है0 भूमि वादीगणों के नाम शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीगणों की जाति ग्राम खानपुरिया के खाता संख्या 4 पर मेहर दर्ज है परन्तु ग्राम भटेडिया के खाता संख्या 2 पर वादीगण की जाति बलाई दर्ज है। वादीगण की जाति के संबंध में ग्राम वासीयान द्वारा जानकारी प्राप्त अनुसार वादीगण की जाति मेहर बताई गई। अतः वादीगण की ग्राम भटेडिया में रिथत आराजी खाता संख्या 2 कुल किता 3 रकबा 2.57 है0 में दर्ज जाति बलाई के स्थान पर जाति मेहर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों तथा बयान गवाहान वादीगण निरंजन कुमार व नेमीचन्द के आधार पर आराजी खाता संख्या 2 खसरा नं0 319 रकबा 1.28 है0, खसरा नं0 353 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 355 रकबा 0.54 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल में वादीगण क्रम 1 ता 14 की जाति बलाई के स्थान पर मेहर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादीगण की पुरानी जाति को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो तो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।